



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082020-221367
CG-DL-E-27082020-221367

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2544]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942

No. 2544]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

का.आ. 2871(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1329(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में NH72A (छोटमलपुर-गणेशपुर सेक्शन) जिसे नया नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 307 दिया गया है, के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 6.940 और कि.मी. 8.7000 से कि.मी. 20.000 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/ चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "9 मई, 2020 " को "अमर उजाला" और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72A के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 6.940 और कि.मी. 8.7000 से कि.मी. 20.000 तक के भू-खण्ड (छुटमलपुर-गणेशपुर सेक्शन) (पुनर्नामित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 307) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: सहारनपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बेहत				
	गांव का नाम: गुडम्ब				
1	282	निजी	कृषि	0.0303	रमेशचंद, सुरेशचंद और बालेश्वर एस / ओ अतर सिंह (282)
2	291	निजी	कृषि	0.0511	कमलेश और सुभाष चंद (291)
3	292	निजी	कृषि	0.0183	इन्द्राज पुत्र तुलसी, पदम सिंह पुत्र सिंगारू (292)
4	313	निजी	कृषि	0.0084	सुधीर सिंह, धीर सिंह, वीर सिंह और नरेश कुमार पुत्र अजमेर सिंह (313)
5	314	निजी	कृषि	0.033	सुधीर सिंह, धीर सिंह, वीर सिंह और नरेश कुमार पुत्र अजमेर सिंह (314)
	गांव का नाम: रसूलपुर कलां				
6	736	निजी	कृषि	0.009	शकील पुत्र इब्राहिम, सलीम नाबा० 17 साल, शाहरुख नाबा० 15 साल, शाहबाज नाबा० 11 साल, सावेज नाबा० 6 साल, मेहताब नाबा० 4 साल, समरीन नाबा० 13 साल, नसरीन नाबा० 8 साल की पुत्र आलिम संरक्षक जरीसा माता, जरीसा पत्नी आलिम, रियाजुल पुत्र असगर, मेहरबान, कल्लन, अजीमुद्दीन, कामिल, आरिफ पुत्र हमीद, हसन पत्नी हमीद, मौ. हसन पुत्र मकसूद, शौकत पुत्र इब्राहिम, तालिब, रागिब, ताहिर, जाकिर, शाहिर, वाजिद, साजिद पुत्र गालिब (736)
7	754	निजी	कृषि	0.012	राजबाला पत्नी बुद्धसिंह, सुशील कुमार, परविन्दर कुमार पुत्र पितंबर, सतीश कुमार,

					सुशील कुमार पुत्र इलमसिंह, राजेश कुमार पुत्र बुद्धसिंह, सचिन कुमार पुत्र चतर सिंह, सत्तार, गप्फार, रईस, इबरार, आशिफ पुत्र अशरफ (754)
	गांव का नाम: सुन्दर म- था- ईस्म-				
8	2454	निजी	कृषि	0.07	भरत सिंह पुत्र राम सिंह, श्याम कुमार पुत्र चरत सिंह, लीलावाली पत्नी चरत सिंह (2454)
	गांव का नाम: थापल ईस्माईलपुर				
9	1250	सरकारी	गैर कृषि	0.0416	नवीन परती/आबादी (1250)
10	4109	निजी	कृषि	0.073	जयकुमार पुत्र नौरंग लाल (4109)
			कुल	0.3467	

[फा. सं. NHAI/11013/LA/PIU-DDN/2012/3A1/3D1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th August, 2020

S.O. 2871(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.1329(E) dated 24th May, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH72A (Chutmalpur-Ganeshpur Section) renamed as NH-307, on the stretch from Km 0.000 to Km 6.940 and Km 8.700 to Km 20.000 in the district of SAHARANPUR in the state of UTTAR PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “Times of India” both dated 9th May, 2020, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km 0.000 to Km 6.940 and Km 8.700 to Km 20.000 (Chutmalpur-Ganeshpur Section) of National Highway No.72A (renamed as NH-307) in the district of SAHARANPUR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: SAHARANPUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Behat				
	Village: Gudamb				
1	282	Private	Agriculture	0.0303	Rameshchand, Sureshchand and Baleshwar S/o Atar Singh 282
2	291	Private	Agriculture	0.0511	Kamlesh and Subhash Chand 291
3	292	Private	Agriculture	0.0183	Indraj S/o Tulsi, Padam Singh S/o Singaru and others 292
4	313	Private	Agriculture	0.0084	Sudhir Singh, Dheer Singh, Beer Singh and Naresh Kumar S/o Ajmer Singh 313
5	314	Private	Agriculture	0.033	Sudhir Singh, Dheer Singh, Beer Singh and Naresh Kumar S/o Ajmer Singh 314
	Village: Rasulpur Kalan				
6	736	Private	Agriculture	0.009	Shakil S/o Ibrahim, Salim Minor 17 Year old, Shahrukh Minor 15 Year old, Shahbaj Minor 11 Year old, Sawej Minor 6 Year old, Mehtab Minor 4 year old, Samrin Minor 13 Year old, Nasarin Minor 8 Year old S/o Aalim C/o Jarisa Mother, Jarisa W/o Aalim, Riyajul S/o Asagar, Meharban, Kallan, Azimuddhin, Kamil, Aarif S/o Hameed, Hasan W/o Hameed, Mohd. Hasan S/o Maksood, Shaukat S/o Ibrahim, Talib, Ragib, Tahir, Jakir, Shahir, Wajid, Sajid S/o Galib 736
7	754	Private	Agriculture	0.012	Rajbala W/o Buchsingh, Sushil Kumar, Parvindra Kumar S/o Pitamber, Satish Kumar, Sushil Kumar S/o Ilamsingh, Rajesh Kumar S/o Buchsingh, Sachin Kumar S/o Chatar Singh, Sattar, Gaffar, Reis, Ibrar, Ashif S/o Asharaf 754

	Village: Sundarpur M. Th. Ism.				
8	2454	Private	Agriculture	0.07	Bharat Singh S/o Ram Singh, Shyam Kumar S/o Charat Singh, Lilawati W/o Charat Singh 2454
	Village: Thapal Ismaelpur				
9	1250	Government	Non Agriculture	0.0416	Naveen Parti/Aabadi 1250
10	4109	Private	Agriculture	0.073	Jaykumar S/o Naurang Lal 4109
			TOTAL	0.3467	

[F. No. NHAI/11013/LA/PIU-DDN/2012/3A1/3D1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.